

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -107/2023-निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनाम 1. शम्भूसिंह / जगदीश सिंह तंवर,  
बिजौलियां जिला भीलवाडा निवासी पुलिस थाने के पास,  
बिजौलिया

2. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत  
बिजौलियां जिला भीलवाडा

-निगराकार

- गैर निगराकार

## निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पट्टा क्रमांक 1713 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत

उपस्थित-

1. विभागीय पेरोकार- निगराकार की ओर से

### निर्णय

दिनांक 13.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नहीं किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पट्टा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लंघना की गयी। जिसमें नक्शा नहीं बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पट्टा कोरम से अनुमोदित नहीं कराया गया। पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड कय करने बाबत किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1713 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।



24  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा

यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जोपट्टा संख्या 1713 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

### आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बिजौलियाद्वारा जारी पट्टा संख्या 1713 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



२५

(रतन कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा